

कार्यालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

इम्तीयाज अंसारी वगै०

बनाम्

झारखण्ड सरकार वगै०


नामांतरण अपील वाद संख्या.....17...../2022-23

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

61123

आवेदक इम्तीयाज अंसारी वगै० पिता स्व० मुस्तकीम अंसारी, साकिन-खरखरो, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह द्वारा आवेदन देकर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-डोरियो, खाता नं०-14, प्लॉट नं०-844/888, रकबा- $26\frac{2}{3}$  डी० भूमि आवेदकों को अलग-अलग केवाला से खरीदगी हासिल है तथा उक्त जमीन की जमाबंदी अंचल कार्यालय बगोदर में कायम कराकर वर्ष 2022-23 तक मालगुजारी रसीद भी निर्गत होता चला आ रहा है, परन्तु द्वितीय पक्षकारों द्वारा उपरोक्त भूमि का अलग से जमाबंदी कायम करा लिया गया है जिसको लेकर विवाद उत्पन्न है।

अतः उपरोक्त भूमि पर नामांतरण अपील वाद प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 25/11/23.....को रखे।

  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
बगोदर-सरिया।

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिहित उपस्थिति ।  
उमच पदा उप० ।  
To १५/२३ ।  
॥ ~~॥~~

१/२/२३

उमच पदा उपस्थिति ।  
उमच पदा के विधान  
अधिवक्ता को सुना ।  
प्रशासन बाद अंचल अधिकारी,  
बगोदर द्वारा नामांतरण  
बाद सं० - 252 R27/2022-23  
में पारित आदेश दिनांक -  
20. 11. 22 के विरुद्ध लाया  
गया है ।  
अपीलकर्ता द्वारा उक्त  
नामांतरण के पूर्व अंचल  
अधिकारी के समक्ष आपत्ति  
की गई थी कि प्रशासन  
भूमि के दरवाज - कठमे के  
निर्धारण हेतु द. प्र. स.  
की पारा- 145 के अंतर्गत  
बाद अउमण्डल रठडाधिकारी  
सरिया - बगोदर के आयालय  
में विचाराधीन है । अंचल  
अधिकारी बगोदर द्वारा  
अनुमंडल पदाधिकारी को  
लेखित प्रतिवेदन में दरवाज -  
कठमे विनाश पदा का अनाया  
गया है । इस परिस्थिति में  
विपरीत दरवाज - कठमे स्वयं  
नहीं है । अंचल अधिकारी द्वारा  
इस तथ्य पर विचार नहीं

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>किया गया है। अतः अचल अधिकारी के आदेश को निरस्त किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>१८ - ११/१३</p>	